न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 10/22
RCMS NO-2022/ 139 सन् 2022

बउनवानीः—1. घनश्याम पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी जालपा खेडी तह0 सवाईमाधोपुर(मृतक)
1/1. दिलीप पुत्र घनश्याम बैरवा निवासी जालपा खेडी तहसील सवाईमाधोपुर
1/2. रूपेश पुत्र घनश्याम बैरवा निवासी जालपा खेडी तहसील सवाईमाधोपुर
1/3. पूजा पुत्री घनश्याम बैरवा निवासी जालपा खेडी तहसील सवाईमाधोपुर
1/4. मोत्या पत्नि घनश्याम बैरवा निवासी जालपा खेडी तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. हीरालाल पुत्र सुखेदवा जाति बैरवा निवासी जालपा खेडी तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 230 निर्णय दिनांक 16.12.1986 वाके ग्राम जालपाखेडी तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री संदीप शर्मा — वकील रेस्पो. 2

—: निर्णय :— दिनांक 24.7.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 230 निर्णय दिनांक 16.12.1986 वाके ग्राम जालपा खेडी तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पो. संख्या 2 को सुनवायी हेतु कोई नोटिस जारी नही किया हैं क्योकि मृतक अपीलान्ट घनश्याम एवं रेस्पो. संख्या 2 के पिता सुखदेवा पुत्र भोरया बैरवा निवासी जालपा खेडी की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का भरा गया नामा0 संख्या 230 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा रामजीलाल, झण्डू, रामा के नाम दर्ज फैसल किया है जो गलत है यदि उक्त नामा0 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया होता तो अपीलान्ट संख्या 1 एवं रेस्पो. संख्या 2 के सही नाम की पुष्टि हो सकती थी किन्तु उक्त नामा0 तहसीलदार द्वारा मृतक सुखदेवा के वारिसान के सही नाम की जॉच किये बिना ही अपीलान्ट घनश्याम के स्थान पर रामजीलाल एवं हीरालाल के स्थान पर झण्डू के गलत नाम से दर्ज फैसल कर दिया है। अतः आदेश जैर अपील को निरस्त कर रामजीलाल के स्थान पर घनश्याम एवं झण्डू के स्थान पर हीरालाल के नाम दर्ज फैसल करवाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.7.2022 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने पर जमाबन्दी मे गलत नाम होने की जानकारी प्राप्त हुई तथा दिनांक 13.7.2022 को नामा0 की नकल लेने पर नामा0 [illegible] नाम होने की जानकारी प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के अपील [illegible] की [illegible] अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने [illegible] निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 10/2022 उनवानी घनश्याम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार वगै.)

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मुझ रेस्पो. का नाम भी आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 230 दिनांक 16.12.1986) मे हीरालाल के स्थान पर झण्डू कर दिया है तथा अपीलान्ट का नाम घनश्याम के स्थान पर रामजी लाल कर दिया है। अतः रामजीलाल के स्थान पर घनश्याम एवं झण्डू के स्थान पर हीरालाल पुत्र सुखरदेवा करने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील उभय पक्षो द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 230 दिनांक 16.12.1986 को इसलिए गलत बताया गया है क्योकि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम घनश्याम के स्थान पर रामजीलाल एवं हीरालाल के स्थान पर झण्डू दर्ज कर दिया एवं मृतक रामा का सही नाम अंकित कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध रामा की विरासत का नामा0 संख्या 22 दिनांक 11.9.1998 भी रामजीलाल एवं झण्डू पुत्र सुखदेवा के नाम दर्ज फैसल किये जाने पर भी अपीलान्ट एवं रेस्पो0 द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। अपीलान्ट द्वारा अपना नाम घनश्याम पुत्र सुखदेवा होने की पुष्टि हेतु मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड,आधा कार्ड इत्यादि पेश किये गये है किन्तु रेस्पो0 द्वारा अपना नाम हीरालाल पुत्र सुखेदवा होने की पुष्टि बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। मृतक सुखदेवा के तीन पुत्रों मे से दो पुत्रों का नाम विरासत मे गलत होना संदेहस्यापद लग रहा है। इसलिए प्रकरण में तहसीलदार सवाईमाधोपुर से गहनता से जॉच करवाया जाना उचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति प्रकरण में तहसीलदार सवाईमाधोपुर से पुनः जॉच करवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 230 निर्णय दिनांक 16.12.1986) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक सुखदेवा पुत्र भोरया जाति बैरवा निवासी जालपाखेडी की विरासत का अपीलान्ट के बाबा अर्थात भोरया की पिता के समय से लेकर अपीलान्ट तक की विरासत का सजरा बनाया जावे एवं यह भी सुनिश्चित किया जावे कि ग्राम जालपा खेडी मे सुखदेवा पुत्र भोरया के नाम से अन्य कोई व्यक्ति तो नही है? इत्यादि तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपीलान्ट एवं रेस्पो0 को अपना सही नाम से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:18:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner